R.N.I. NO. MPHIN/2002/8445,
डाक पंजीयन क्रमांक MP/ICD/1074/2015-17

सर्वोदय प्रेस सर्विस

साप्ताहिक सर्वोदय समाचार विचार सेवा, 29 संवाद नगर, नवलखा, इंदौर–452001 (म.प्र.) फोन एवं फैक्स– (0731) 2401083

संस्थापक – सम्पादक : स्व. श्री महेन्द्रकुमार
कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र

E.mail - indoresps@gmail.com

वर्ष : 15(57), अंक.43 पृष्ठ संख्या 08 प्रकाशनार्थ सप्रेस आलेख : 122 इंदौर, शुक्रवार 20 जनवरी 2017

(तुरंत प्रकाशित किया जा सकता है।)

कांचनमुक्ति : मथुरा में पैसा है तो कंस भी है

✍ न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी

नोटबंदी से उपजी अव्यवस्था और त्रासदी ने अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप को शक के दायरे में ला दिया है। वहीं दूसरी और बढ़ती आर्थिक असमानता ने भी इस व्यवस्था के औचित्य को कटघरे में ला खड़ा किया है। ऐसे में गांधी व विनोबा के विचारों को पुनः खंगालने की जरुरत महसूस होने लगी है।–का.सं.

आज 'केशलेस' याने नकद रहित से लेकर 'लेसकॅश' (कम नगदी) की बात जोर–शोर से चल रही है। अतएव मुझे आचार्य विनोबा भावे द्वारा श्रम और प्रेम के आधार पर प्रतिपादित कांचनमुक्ति सिद्धांत और प्रयोग विचारणीय लगा। विनोबा ने कहा था ''दुनिया में श्रम और प्रेम की प्रतिष्ठा बढ़ने से कांचनमुक्ति होगी। श्रम नहीं होगा तो अन्नोत्पादन पूरा नहीं होगा। कुछ लोग ज्यादा छीन लेने की कोशिश करेंगे और झगड़ा चलता ही रहेगा। इसी के लिए प्रेम भी चाहिए, ताकि जो पैदा हुआ उसे बांटकर खायें। जैसे परिवार में सब अलग–अलग कमाते हैं, फिर भी सब बांटकर खाते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है। वैसा ही प्रेम समाज में होने पर बांटकर खाने का सामाजिक अमल होगा। इन दोनों चीजों के बढ़ने से पैसे का जोर नहीं चलेगा और समाज कांचनमुक्त होगा।'' विनोबा के आश्रम में वैसे ही अन्न और वस्त्र स्वावंलबन चल ही रहा था। सूत खुद कातकर, कपड़े की बुनाई करना तथा अपने परिश्रम से पैदा अन्न का सेवन करना ही आश्रम का व्रत था। इसलिए बाजार में कपड़े के या अनाज के भाव गिरें या बढ़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस स्वावलंबन प्रक्रिया के दो भाग किये गये थे। एक था स्वयं का स्वावलंबन और दूसरा समूह का याने आश्रम का स्वावलंबन। इसे कांचन मोचन की उपासना कहा गया था। आश्रम में कुछ बहनें ऐसी थीं जिन्होंने कई सालों से पैसों का स्पर्श ही नहीं किया था।

वर्तमान परावलंबी समाज रचना के कारण पैसा विनिमय का साधन बना है। इस संदर्भ में विनोबा ने कहा है ''जैसे किसान परावलंबी है। इसलिए पैसे को प्रतिष्ठा मान बैठा है वैसे ही हमारी सरकार भी परावलंबी यानी परदेशावलंबी बनी है। वह भी पैसे को ही प्रतिष्ठा मान बैठी है। सरकार के सामने यह समस्या रहती है कि परदेस से फलां–फलां सामान हमें चाहिए और उसे खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो जिस मोहपाश में किसान फंसा हुआ है उसी मोहपाश में सरकार भी फंसी है। व्यापारी तो उसमें फंसे हुए हैं ही। मध्यमवर्गीय, समाज जो कुछ उत्पादन नहीं करते वे तो पैसे रूपी पानी की मछलियाँ हैं। नतीजा यह हुआ है कि क्या व्यापारी, क्या मध्यमवर्ग और क्या किसान यानी जनता और सरकार, चारों मिलकर पैसे का गुणगान कर रहे हैं। जनता से पैसा लेकर सरकार गांव वालों को वही पैसा सूद पर दे, यह तो कितनी बुरी बात है। ऐसी बुरी धारणाएं मिटाये बिना क्रांति नहीं हो सकती। समाज में जरुरत से ज्यादा पैसा पैदा कर दिया गया है। आज पैसे का परिश्रम और पैदावार से कोई संबंध नहीं रहा है। सिर्फ कागज बढ़ाये हैं यानी कृत्रिम पैसा बढाया गया है। ऐसा पैसा लफंगा है। ऐसा पैसा पैदा होने से सब लोग लोभी या रिश्वतखोर बन गये हैं। जो व्यक्ति बार–बार बदलता रहता है, उसे हम झूठा और लफंगा कहते हैं। आज रुपये के एक सेर चावल, तो कल आधा सेर। कौन जाने वह किस रोज क्या बोलेगा? इस झूठे पैसे को हम सिर्फ निबाह ही नहीं रहे हैं बल्कि उसे अपना कारोबारी बना चुके हैं। लक्ष्मी तो श्रम से निर्मित होती है। लक्ष्मी और पैसा एक ही चीज

नहीं है। लक्ष्मी तो माँ है, विष्णु–पत्नी है। और पैसा राक्षस है। किसने बनाया पैसा? वह तो नासिक के छापखाने में बनता है। उत्पादन तो बढ़ता नहीं और पैसा बढ़ता जाता है। होली में सारे नोट जला दिये जायें तो हिंदुस्तान सुखी हो जाएगा।

एक दिन यशोदा ने कृष्ण से कहा कि मक्खन को मथुरा में जाकर बेचना चाहिए। कृष्ण का जवाब था नहीं उसे गांव में ही खाना चाहिए। यशोदा बोलीं मथुरा में मक्खन बेचने से पैसा मिलेगा। तो कृष्ण बोले मथुरा में अगर पैसा है तो कंस भी है। मथुरा के पैसे का लोभ रखोगे तो कंस का राज्य भी मान्य करना पड़ेगा। इसीलिए पैसे से मुक्त होकर गांव–गांव में 'ग्रामस्वराज्य' स्थापित करना चाहिए। प्रयास करना होगा कि देहाती जनता को अपनी मुख्य आवश्यकताओं के लिए बाजार पर अवलंबित न रहना पड़े। आज देहात के लोग अनाज के अलावा सबकुछ खरीदते हैं। इसलिए आम जनता की वित्त संचय की वासना नहीं छूटती।

विनोबा ने ब्याजखोरी के बारे में कहा है ''ब्याज को आज व्यापार में मान्य किया गया है। आज की मान्यता के अनुसार इतना ही कह सकते हैं कि अतिरिक्त ब्याज नहीं लेना चाहिए। इस मान्यता पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस्लाम ने ब्याज का पूर्ण निषेध किया है। अगर ब्याज का निषेध हो जाये, तो संग्रह की मात्रा काफी घट जायेगी।'' कांचनमुक्ति जीवन मूल्यों के परिवर्तन का प्रयोग है। हमको परिश्रम से निर्माण करना है और परस्पर सहकार से जीवन का नियमन करना है। इस तरह निर्माण और नियमन दोनों इस प्रयोग का हिस्सा हैं। चलन का परिवर्तन पैसे में नहीं करना है। इसी से जीवन में नियमन आयेगा, लेकिन निर्माण पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। यह सिर्फ शब्दों की हेराफेरी नहीं है। यह तो अर्थविज्ञान या अर्थनीति का बुनियादी सिद्धांत है। विनोबा कहते हैं ''यदि हम फौरन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा कोई वह कर रहा है तो हम अपना पैसा उसके हाथ में सौपते हैं। कुछ मुद्दत के बाद जब वह पैसा हमें वापस देग तो पूरे सोलह आने वापस देने की जिम्मेवारी उस पर न हो। अगर वह पंद्रह आने वापस कर दे तो ऋण–मुक्ति मान लेनी चाहिए। यानी आम जनता के हित के काम में लगे पैसे में कमोबेशी या कटौती मान्य करना धर्म होगा। अगर यह विचार मंजूर हुआ तो संग्रह की मात्रा भी कम होगी और संग्रह करने की लालसा और मुनाफा के साथ ही 'अन् अर्न्ड मनी' यानी अपने परिश्रम से न कमाया हुए पैसे की लालसा समाप्त होगी। ऐसे में 'कालेधन' का सवाल भी नहीं रहेगा।

महाराष्ट्र के कोकण जिले के गांधी के नाम से प्रसिद्ध अप्पासाहब पटवर्धन जो महात्मा गांधी के सचिव भी रहे थे के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा योजना आयोग के अध्यक्ष धनंजय राव गाडगिळ ने भी सराहना की थी और कहा था कि ''वह सिद्धांत इतना दूरगामी हैं कि वह हमे आज पसंद नहीं आयेगा। लेकिन इसका मूल्य हम पांच सौ साल के बाद समझ सकेंगे'' नकद पैसे की खोज के पहले वस्तु नियमन (बार्टर) की पद्धति उपयोग में लाई जाती थी। फिर 'चलन' में पैसा और नोटों का आविष्कार हुआ। जिनका संग्रह किया जा सकता है। ईश्वर निर्मित सम्पती नश्वर और मानवनिर्मित पैसा 'अमर'! यह उल्टा न्याय प्रस्थापित हुआ। इसी के कारण 'ब्याज' और 'डिवीडेंड' को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अमीर अधिक अमीर होने लगे और गरीब अधिक गरीब बने। आर्थिक विषमता बढ़ती गई। अप्पासाहब का सुझाव था कि सरकार घोषणा करे कि मुद्रित नोट छपे हुए साल के लिए ही चलन में रहेगा। उसके बाद सौ रुपये का नोट 95 रु. में वापस होगा। बैंक में जमा पैसा बिना लाभ हानि के स्वीकार किया जाएगा। इस साल रखे 100 रुपये के बदले अगले साल 95 रु. ही वापिस मिलेंगे। वैसे भी हम चौकीदार को हर महीने वेतन देते ही हैं ना? उत्पादन परिश्रम करने वालों को तगाई बिना ब्याज की मिलेगी। ताकि अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब न हो और सरकार भी मुनाफा न कमा सके।

यह सिद्धांत अव्यवहारिक या हास्यास्पद लग सकता है लेकिन यही हमारे संविधान के उददेशिका की आर्थिक समता के तत्व के अनुकूल है। इसी के कारण सामाजिक विषमता समाप्त करने में मदद मिलेगी। वैसे भी किसी भी प्रकार का उत्पादन या परिश्रम न करते हुए ब्याज और डिविडेंड पर आधारित अर्थशास्त्र सिर्फ स्वार्थशास्त्र या अनर्थशास्त्र ही नहीं है बल्कि वह तो शोषण पर आधारित विपत्तीशास्त्र है। आज तो एक की विपत्ति दूसरों को संपत्ति कमाने का सुअवसर देती है। गांधीजी ने जब 'नमक–सत्याग्रह' शुरू किया था तब उन्हें 'मूर्ख' और पागल ही कहा गया था। लोग मानते थे कि मुट्ठी भर नमक उठाने से अंग्रेज साम्राज्य कैसे खत्म हो सकेगा? लेकिन वह सत्याग्रह अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का प्रथम तथा सशक्त कदम साबित हुआ। जो इस तरह के प्रयोग नहीं करते वे परिवर्तन करने में भी कामयाब नहीं होते। विचारपूर्वक कदम उठाना ही आज के युग की अनिवार्यता है।(सप्रेस)

❖ **न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी गांधीवादी विचारक एवं प्रखर वक्ता हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं।**

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि **'सर्वोदय प्रेस समिति'** के नाम भेजें।

संस्थापक – सम्पादक : स्व. श्री महेन्द्रकुमार
कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र
सप्रेस आलेख 123 : 2016–17
दिनांक 20–01–2017
प्रकाशनार्थ
फोन एवं फैक्स : (0731) 2401083

सर्वोदय प्रेस सर्विस बुलेटिन
साप्ताहिक सर्वोदय समाचार विचार सेवा
29, संवाद नगर, नवलखा, इंदौर – 452001 (म.प्र.)
E.Mail - indoresps@gmail.com

(तुरंत प्रकाशित किया जा सकता है।)

गांधी की खादी, और मोदी की गादी

कुमार प्रशांत

खादी ग्रामोद्योग आयोग की डायरी व केलेंडर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा अपनी विरासत में गांधी का विकल्प ढूंढने में असफल रही है। ऐसे में अब चापलूसों की नई उभरी जमात नए–नए प्रयोग कर रही है। वस्तुत : गांधी विचार गांधी की तस्वीर के मोहताज नहीं है। आज दुनिया का हर देश स्वयं को गांधी की विरासत से जुड़ा मानने में गर्व की अनुभूति करता है। का.सं.

फुर्सत के पल में, जब दूसरा कुछ न सूझे तो हम सबका एक शगल होता है। कलम लेकर किसी लड़की के फोटो पर दाढ़ी–मूंछ चस्पा करना या कि किसी पुरुष चेहरे को लड़कीनुमा बनाना! आपने भी कभी–न–कभी ऐसी कलमकारी की होगी। चापलूसी का सबसे ताजा कारनामा सरकारी खादी–ग्रामोद्योग आयोग ने किया है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर कलमकारी कर उसे महात्मा गांधी बनाने की कोशिश की है या कि महात्मा गांधी के फोटो पर कलमकारी कर, उसे नरेंद्र मोदी बनाने का उपक्रम किया है। दोनों ही मामलों में किरकिरी तो नरेंद्र मोदी की ही हुई है। एक इंसान को कार्टून बना कर छोड़ दिया गया है।

देश में इससे बड़ी हलचल पैदा हुई है। यहां तक कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी भी अपने ही नौकरीदाताओं के खिलाफ खड़े हो गए हैं! ऐसा इसलिए हो रहा है कि चापलूसों की फौज नरेंद्र मोदी का कितना भी कार्टून बनाए देश को उससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन यहां मामला यह बना है कि नरेंद्र मोदी का फोटो लगाने के लिए महात्मा गांधी का फोटो हटाया गया है! खादी–ग्रामोद्योग आयोग ने 2017 के अपने कैलेंडर व डायरी पर चरखा कातते नरेंद्र मोदी का वैसा फोटो छापा है जिसे संसार महात्मा गांधी के फोटो के रूप में पहचानता है। लेकिन फर्क भी है। जैसा चर्खा मोदी हिला रहे हैं वैसा चर्खा न तो गांधीजी ने कभी काता, न वैसा चर्खा बनाने की इजाजत ही वे कभी देते। फोटो शूट का यह सरकारी आयोजन जिस ताम–झाम से किया गया है वैसा आयोजन कर,उसमें गांधीजी को बुलाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। इस फोटो–शूट में मोदीजी ने जैसे कपड़े पहन रखें हैं वैसे कपड़े गांधीजी ने तो कभी नहीं ही पहने, ऐसी धज में उनके सामने जाने की हिमाकत कोई नहीं करता। जिस तरह से टेबल पर चरखा रखा गया है और जैसे टेबल पर बैठ कर मोदीजी उस तथाकथित चर्खे को घुमा रहे हैं, गांधीजी वहां होते तो पहली बात तो यही कहते कि तुम ऐसा दिखावटी तामझाम नहीं करते तो तो इन्हीं साधनों से हम कितने ही नये चर्खे बना लेते! सवाल कितने ही हैं लेकिन आज माहौल ऐसा बनाया गया है कि सवाल पूछना देशद्रोह से जोड़ दिया गया।

अगर यह कैलेंड़र और डायरी नरेंद्र मोदी की सहमति व इजाजत से छापी गई है तो मुझे उन पर दया आ रही है, क्योंकि आज वे गहरे पश्चाताप में होंगे। अगर फोटोबंदी का यह फैसला नरेंद्र मोदी की जानकारी या सहमति के बिना हुआ है तो यह खतरे की घंटी हैः चापलूसों और चापलूसी से सावधान! ऐसे चापलूसों ने कितने ही वक्ती नायकों को इतिहास के कूड़ाघर में जा पटका है। इसलिए फैसला प्रधानमंत्री को करना है। वे आयोग के कर्मचारियों की बात मान कर इन सारी डायरियों व कैलेंडर को कूड़ाघर भिजवा दें! ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी आयोग ने ऐसे कैलेंडर/डायरी नहीं छापे कि जिन पर गांधीजी का फोटो नहीं था। भाजपा का हर प्रवक्ता वैसे सालों की सूची बना कर घूम रहा है और बता रहा है कि संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं है कि जिसके तहत महात्मा गांधी का फोटो हटाना अपराध हो! यह सच है। संविधान पर ऐसी कोई धारा नहीं है। इन बेचारों के लिए यह समझना कठिन है कि जो संविधान में नहीं है, वह समाज में मान्य कैसे हो! ये नासमझ लोग संविधान के पन्ने पलटते हैं और परेशान पूछते हैं कि इसमें कहां लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं? कहीं नहीं लिखा है लेकिन समाज इसे इस कदर मान्य किए बैठा है कि इस प्रतीक को छूते ही करेंट लगता है। भले हमारे अपने जीवन का बहुत सरोकार इससे न हो। जिस समाज ने संविधान में प्राण फूंके हैं उसी समाज ने गांधी को अपने मन–प्राणों में बसा रखा है। इसलिए आयोग ने जब–जब गांधी का फोटो नहीं छापा तब–तब किसी दूसरे का फोटो भी नहीं छापा। मतलब साफ थाः गांधी का विकल्प नहीं है! अब आप आज समाज को नई बारहखड़ी रटवाना चाह रहे हैं कि 'म' से 'महात्मा', 'म' 'मोदी'! लेकिन सत्ता की ताकत से, सत्ता की पूंजी से, सत्ता के आदेश से और सत्ता के आतंक से समाज ऐसी बारहखड़ी नहीं सीखता।

यह समझना जरूरी है कि खादी कनॉटप्लेस पर बनी दुकान नहीं है कि जिसे चमकाने में सारी सरकार जुटी हुई। खादी बिक्री के बढ़ते आंकड़ों में छिपा व्यापार नहीं है। जो हर पहर पोशाक बदलते हैं और समाज में उसकी कीमत का आतंक बनाते हैं। उनकी पोशाक खादी की है या पोलिएस्टर की, समाज को इससे फर्क नहीं पड़ता है। पोशाकों और मुद्राओं के पीछे की असलियत समाज पहचानता है।

खादी के लिए गांधी सिर्फ तीन सरल सूत्र कहते हैंः कातो तब पहनो, पहनो तब कातो और समझ–बूझ कर कातो! आज की खादी का इन तीन सूत्रों से कोई नाता नहीं है। आज हालत यह है कि खादी कमीशन ने कर्ज देने के नाम पर सारी खादी उत्पादक संस्थाओं की गर्दन दबोच रखी है। उनकी चल–अचल संपति अपने यहां गिरवी रख रखी है और नौकरशाही के आदेश पूरा करने का उन पर भयंकर दवाब डाल रखा है। यह स्थिति आज की नहीं है बल्कि कमीशन बनने के बाद से शनै–शनै बनी है। सरकार और बाजार मिल कर गांधी की खादी की हत्या ही कर डालेंगे, यह देख–जान कर विनोबा भावे ने खादी कमीशन के समानांतर खादी मिशन बनाया था और कहा था : जो अ–सरकारी होगा, वही असरकारी होगा! लेकिन खादी के काम में लगे कई लोग भी तो माटी के ही पुतले हैं न! सरकारी पैसों का आसान रास्ता और उससे बचने का भ्रष्ट रास्ता सबकी तरह इन्हें भी आसान लगता रहा और कमीशन का अजगर उन्हें अपनी जकड़ में लेता गया। गांधी ने खादी की ताकत यह बताई थी कि इसे कितने लोग मिल कर बनाते हैं यानी कपास की खेती से लेकर पूनी बनाने, कातने, बुनने, सिलने और फिर पहनने से कितने लोग जुड़ते हैं। खादी उत्पादन यथासंभव विकेंद्रित हो और इसका उत्पादक ही इसका उपभोक्ता भी हो ताकि मार्केटिंग, बिचौलिया, कमीशन जैसे बाजारू तंत्र से मुक्त इसकी व्यवस्था खड़ी हो। जब गांधी ने यह सब सोचा–कहा तब कम नहीं थे ऐसी आपत्ति उठाने वाले कि यह सब अव्यवहारिक है, यह बैलगाड़ी युग में देश को ले जाने की गांधी की खब्त है, यह आधुनिक प्रगति के चक्र को उल्टा घुमाने की कोशिश है! आज भी तथाकथित आधुनिक लोग, खादी कमीशन के 'निरक्षर खादी अधिकारी' आदि ऐसा ही कहते हैं। इन सारे महानुभावों की बातों का जवाब देते हुए लेकिन अपने विश्वास में अडिग गांधी ने खादी के काम को इस तरह आगे बढ़ाया कि शून्य में से ताकत खड़ी होने लगी और भारतीय कपास की लूट कर लहलहाती सुदूर इंग्लैंड की लंकाशायर की कपड़ा मिलें बंद होने लगीं। गांधी कहते भी थे कि वह खादी है ही नहीं जो मिलों के सामने अस्तित्व का सवाल न खड़ा करती हो। राजनीतिक दलों, सरकारों का छद्म उन्होंने पहचान लिया था और इसलिए आजादी के बाद देश में बनी सरकारें गांधी से मिलने, उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने और खादी के बारे में तरह–तरह के आश्वासन देने आने लगीं तो गांधी खासे कठोर हो कर उनसे अपनी बातें कहने लगे थे और पूछने लगे थे कि क्या मैं मानूं कि आप अपने यहां खादी को इतना मजबूत बनाएंगे कि आपके राज्य में मिलें बंद हो जाएंगी? बिहार की सरकार से कहा कि आप अपने मन में यह भ्रम मत रखना कि खादी भी चलेगी और मिल भी चलेगी! आज पर्यावरण पर भयावह खतरे, संसाधनों की विश्वव्यापी किल्लत, नागरिकों की और प्राकृतिक संसाधनों की अंतरराष्ट्रीय लूट आदि को जो जानते–समझते हैं, वे सब स्वीकार करते हैं कि गांधी पिछली शताब्दी के सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक चिंतक थे जिन्होंने अपने दर्शन के अनुकूल व्यावहारिक ढांचा भी विकसित कर दिखला दिया।

पहले की सरकारों ने इतना अनुशासन रखा था कि खादी का कोई मान्य व्यक्ति ही खादी कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता था। फिर यह तरीका बना कि खादी कमीशन का अध्यक्ष सरकारी पार्टी का सबसे कमजोर सदस्य बना दिया जाता है ताकि गुड़ भी खाएं और गुलगुले से परहेज भी रखें। कई बार तो कोई नौकरशाह ही इस कुर्सी पर बिठा दिया गया है। इसलिए खादी उत्पादन और बिक्री का सारा अनुशासन, जो गांधीजी ने ही तैयार किया था, रद्दी की टोकड़ी में फेंक दिया गया और खादी कमीशन सरकारी भोंपू में बदल दिया गया। आज सरकार जैसी कोई चीज बची नहीं है, एक व्यक्ति है जो सब कुछ है! इसलिए कमीशन का 'पप्पू' अध्यक्ष टीवी पर आ कर यह बताता है कि मोदीजी के खादी–प्रेम से खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है। वह यह नहीं बताता है कि खादी का उत्पादन कितना बढ़ा है, खादी की काम करने वाले संस्थाएं कितनी बढ़ी हैं, खादी कातने वाले और खादी बुनने वाले कितने बढ़े हैं। यदि ये आंकड़े नहीं बढ़े हैं तो बिक्री के आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? फिर तो ये आंकड़े ही बता देते हैं कि जो बिक रहा है या बेचा जा रहा है वह खादी नहीं है! आज स्थिति यह है कि बाजार में मिलने वाला, खादी के नाम पर बिक रहा 90 प्रतिशत कपड़ा खादी है ही नहीं! इस कारनामे में प्रधानमंत्री का गुजरात काफी आगे है।

गांधी ने खादी को सत्ता पाने का नहीं, जनता को स्वावलंबी बनाने का औजार माना था। वे कहते थे कि जो जनता स्वावलंबी नहीं है वह स्वतंत्र व लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है? आज सारी सत्ता येनकेनप्रकारेण अपने हाथों में समेट लेने की भूख ऐसी प्रबल है कि वह न तो कोई विवेक स्वीकारती है, न किसी मर्यादा का पालन करती है। लेकिन वह भूल गई है कि आप तस्वीर तो बदल सकते हैं लेकिन विचारों की तासीर का क्या करेंगे? वह गांधी की तासीर ही थी जिससे टकरा कर संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य ऐसा ढहा कि फिर जुड़ न सका, वह विचारों की तासीर ही था कि जिसके बल पर दिल्ली से कांग्रेस का खानदानी शासन ऐसा टूटा कि अब तक 40 सालों बाद तक अपने बूते लौट नहीं सका है। अब ये अपने शेखचिल्लीपन में तस्वीरें बदलने में लगे हैं। देखिए, इतिहास क्या–क्या बदल देता है।(सप्रेस)

❖ **श्री कुमार प्रशांत प्रभावशील लेखक एवं गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं।**

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि **'सर्वोदय प्रेस समिति'** के नाम भेजें।

संस्थापक – सम्पादक : स्व. श्री महेन्द्रकुमार
कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र
सप्रेस आलेख 124 : 2016–17
दिनांक 20–01–2017
प्रकाशनार्थ
फोन एवं फैक्स : (0731) 2401083

सर्वोदय प्रेस सर्विस
बुलेटिन
साप्ताहिक सर्वोदय समाचार विचार सेवा
29, संवाद नगर, नवलखा, इंदौर – 452001 (म.प्र.)
E.Mail - indoresps@gmail.com

(कृपया 22 जनवरी पूर्व प्रकाशित न करें।)

अवैध रेत खनन् को नमन

आकाश कुमार

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरु हुई नमामि नर्मदे सेवा यात्रा की परिणिति पर भविष्यवाणी करना इस मायने में अर्थहीन है क्योंकि शासन–प्रशासन स्वयं ही नहीं जानता कि इस यात्रा से वह वोट के अलावा क्या कुछ और प्राप्त भी करना चाहता है।–का.सं.

देखने पर ही लोगों के कष्ट दूर करने वाली नर्मदा नदी आज बड़े–बड़े बांधो से बंधकर तालाब में बदल गयी है। ऊपर से अवैध रेत खनन न केवल नर्मदा का प्रवाह रोक रहा है बल्कि उस पर और उसमें पलने वाले हजारों जीव–जंतुओं, मनुष्यों एवं उनकी आस्था को भी मार रहा है। हाल ही में मैं मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के पेंड्रा और भीलखेडा गांव में गया जहाँ पर नर्मदा का किनारा पहले कहां था और अब कहां है, पता ही नहीं चलता। इन जगहों पर अवैध खनन के चलते नर्मदा का पानी जिसे हम सरदार सरोवर बांध का बेकवाटर भी कह सकते हैं, काफी अंदर तक आ चुका है। कभी हरी–भरी फसलों से लहलहाने वाले खेत आज विशाल खदान जैसे दिखते हैं।

अवैध रेत खनन के दुष्परिणाम यहां तक फैल चुके हैं कि खदानों से निकली मिटटी को अब रेत माफिया नर्मदा नदी में ही डाल रहे हैं, जिससे कि किनारों के अस्तित्व एवं पारिस्थितकीय तंत्र पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। कई वैज्ञानिक रिपोर्टों एवं शोधों के द्वारा यह साबित हो चुका है कि रेत खनन के कारण नदियों की प्रवाह की दिशा एवं तलहटी पर काफी प्रभाव पड़ता है। नदियों किनारे हो रहे अत्यधिक रेत खनन के कारण आस–पास के जमीनों में जलस्तर में आई कमी को भी यहां के ग्रामीण महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि देश के सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालयों के कई आदेशों को ताक पर रख, अधिकारियों एवं खनन माफियाओं का यह गन्दा खेल खुलेआम व निर्बाध चल रहा है। एकतरफ हजारों लाखों टन अवैध रेत नर्मदा के किनारों से प्रतिदिन निकाली जा रही है वहीं दूसरी ओर 'नमामि नर्मदे' यात्रा में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर अमरकंटक क्षेत्र में सोना भी निकला तो भी खनन नहीं होने दूंगा। सवाल उठता है अमरकंटक, जोकि नर्मदा का उद्गम स्थल है, का ही संरक्षण क्यों? क्या नर्मदा घाटी के अन्य क्षेत्र महत्व के नहीं हैं। या वहां होने वाले खनन् से नर्मदा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस बात को भी संबधित अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री को विशेष रूप से संज्ञान में लेना होगा।

नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा अवैध रेत खनन को रोकने के लिए किये गए प्रयासों की वजह से गत वर्षों में कुछ ट्रेक्टर पकड़े भी गए थे। जिन्हें की सिर्फ 15000 रु. की मामूली राशि एवं इससे लाखों रु. कमाने वाले परिवार का एकमात्र जरिया बताकर कर छुड़वा दिया गया। अभी हाल ही के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश में यह स्पष्ट हुआ है कि पकड़े गए ट्रेक्टर ट्रालियों को छोड़ा न जाए एवं छोड़े गए कुछ ट्रैक्टरों पर भी पुनः कार्यवाही की जाए।

नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि नर्मदा नदी की रक्षा एवं यहां के लोगों के हक के लिए पिछले 31 सालों से लड़ रहा है, के कार्यकताओं ने कई बार खदान क्षेत्र में जाकर अवैध खनन को रुकवाने का प्रयास किया है और आज भी कर रहे हैं। लेकिन खनन विभाग एवं पुलिस द्वारा पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण इन्हें कई बार खनन माफियाओं का विरोध व हिंसा भी झेलना पड़ती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम लेकर, निसरपुर के

कुम्हार (प्रजापति) समाज के लोगों को घेसा (बालू और मिटटी के बीच का तत्व जो की ईट बनाने में प्रयुक्त होता है) लेने से रोका जा रहा है, जबकि यह पूर्णतः गलत है। अधिकारियों एवं भू–माफिया निमाड़ के लोगों को आंदोलन से हटाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जबकि रेत खनन जिसे रोकने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है, पर कोई रोक नहीं है। जब आंदोलन के कार्यकर्त्ता अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो कई बार उनका जवाब होता है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

मुख्यमंत्री की 'नमामि नर्मदे' यात्रा आरंभ हो चुकी है और उन्होंने यह प्रण लिया है कि नर्मदा को स्वच्छ रखेंगे एवं बचा के रहेंगे। जबकि अवैध खनन को रोकने का तो कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा है। आखिर सवाल यह है कि 'नमामि नर्मदे' यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री किसे और किस प्रकार के संदेश देना चाहते हैं? जबकि यह देखा गया है की ऐसा यात्राएं अपने पीछे ढेर सारा कूड़ा–करकट छोड़ जाती हैं। हालांकि यात्रा से जुड़ें लोगों का कहना है कि यह यात्रा अपने पीछे कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ेगी, देखते हैं ये कितना सच साबित होता है? पर कहीं न कहीं नर्मदा किनारे चल रहा अवैध रेत खनन मध्यप्रदेश सरकार के सुशासन एवं 'नमामि नर्मदे' यात्रा के द्वारा नर्मदा सेवा पर गंभीर प्रश्न उठा रहा है?(सप्रेस)

❖ **श्री आकाश कुमार शोधार्थी हैं।**

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि **'सर्वोदय प्रेस समिति'** के नाम भेजें।

प्रकाशक/मुद्रक/स्वामित्व कुमार सिद्धार्थ द्वारा **सर्वोदय प्रेस सर्विस** बुलेटिन, 29, संवाद नगर, नवलखा, इंदौर–452001 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं एस.एस. प्रिंटर्स एण्ड पब्लिकेशन,35/1,रानीपुरा इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित। वार्षिक शुल्क, 1000/– **कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र**

सर्वोदय प्रेस सर्विस

29, संवाद नगर, नवलखा, इंदौर – 452001 (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स : (0731) 2401083 E.Mail - indoresps@gmail.com,

संस्थापक – सम्पादक : स्व. महेन्द्रकुमार कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र

सम्पादक की ओर से.... दिनांक : 20 जनवरी 2017

नर्मदा घाटी : धीरज तो वृक्ष का

''अफलज, सुर सदा सी रह रहे, वद ना लाख करोड़।

सबको पहले कुद पड़, पीछे न आवे मोड़।।''

अफजल साहब

''अफजल साहब कहते हैं, कि जो शूरवीर होते हैं, वे लाखों करोड़ों शत्रुओं का पता नहीं करते। वे सबसे पहले रणभूमि में कूद पड़ते हैं और कभी मुंह नहीं मोड़ते।''गांधी

आज से करीब 250 वर्ष पहले बड़वानी (मध्यप्रदेश) की गलियों में इकतारा बजाते और रामनाम जपते अफजल साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि नर्मदा घाटी में इक्का–दुक्का नहीं बल्कि ऐसे शूरवीरों की पूरी सेना खड़ी हो जाएगी जो विपक्ष की अगाध शक्ति व सत्ता की परवाह किये बिना, अपने तरह की अनूठी रणभूमि में बिना आगा–पीछा सोचे कूद पड़ेगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने जब सरदार सरोवर बांध पर पहली बार प्रश्न उठाए तो शायद उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उनका संघर्ष पीढ़ियों की सीमा पार कर लेगा। आज आंदोलन के साथ तीसरी पीढ़ी जुड़ गई है। विजय अभी दूर कहीं क्षितिज पर दिखाई तो देती है, लेकिन बढ़ते कदमों के साथ वह पीछे घिसटती सी दिखाई पड़ती है। परंतु नर्मदा घाटी में निवासरत मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात का डूब प्रभावित समुदाय जानता है कि वह एक न एक दिन इस क्षितिज को पा ही लेगा।

पिछले दिनों म. प्र. उच्च न्यायालय की इन्दौर खंडपीठ में न्यायमूर्ति एस.सी शर्मा की एकल पीठ के निर्णय ने डूब प्रभावितों की सच्चाई और संघर्ष के प्रति उनके विश्वास को नवजीवन प्रदान किया है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन वी डी ए) ने सरदार सरोवर जलाशय (बांध) के लिए गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण (जी आर ए) के निर्णय, कि प्रत्येक खातेदार फिर चाहे वह बालिग व शादीशुदा लड़की हो या नाबालिग उसे पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वर्णित सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, के खिलाफ म.प्र. उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। एन वी डी ए विरुद्ध हीरु बाई वाले इस मुकदमे में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रत्येक खातेदार को पुनर्वास नीति का संपूर्ण लाभ मिलना ही चाहिए। किसी प्रकार का लैंगिक (जेण्डर) भेदभाव अस्वीकार्य है। ऐसी करीब 110 याचिकाएं अभी लंबित हैं। इस निर्णय में करीब 15 याचिकाओं का निपटारा हुआ है। इसके अलावा निर्णय में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक कब्जाधारी को भी 2 हेक्टेयर भूमि देना ही पड़ेगी। इसी के साथ सह–स्वामित्व वाले मामलों में भी यह निर्णय लागू होगा।

गौरतलब है, सर्वोच्च न्यायालय ने नबआ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन के मामले में निर्णय दिया था कि, *''पुनर्वास उस व्यक्ति के (जीवन) स्तर की पुर्नस्थापना है, जिसका कुछ चला गया है और वह विस्थापित हो गया है, तथा यह एक ऐसे व्यक्ति को बनाए रखने का प्रयास है जिसके पास अब गरिमामय जीवन जीने का कोई और रास्ता न बचा हो। यह संविधान के अनुच्छेद 300 अ के अन्तर्गत मुआवजा व संपत्ति से संबंधित है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में दर्शाए गए तत्वों के अन्तर्गत आता है। ऐसे लोग जो दीन–हीन और निराश्रय हो गए हैं, उन्हें स्वयं को बनाए रखने के लिए आजीविका का स्थायी स्त्रोत सुनिश्चित कराना अनिवार्य है।''* इसी निर्णय के अनुच्छेद 84 में अधिक स्पष्टता के साथ कहा गया है कि, *''पुनर्वास को विस्थापन के स्तर तक का किया जाना चाहिए। पुनर्वास अपनी प्रकृति में ऐसा होना चाहिए जो कि विस्थापित (व्यक्ति) को यह सुनिश्चित करा सके कि उसका जीवनस्तर उस दिन जैसा होगा जिस दिन सन् 1894 के कानून के अन्तर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरु की गई थी।''* (उपरोक्त अनुवाद साधारण भाषा में है।) नर्मदा बचाओ आंदोलन और डूब प्रभावित सरकार से उतना ही मांग रहे है जितना कि पुनर्वास नीति में

उल्लेखित है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपेक्षा की है। म.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.सी शर्मा ने भी अपने निर्णय में उपरोक्त को उद्धत किया है।

परंतु सरकारों की जिद व मंशा दोनो ही समझ के परे हैं। इसी क्रम में 18 जनवरी 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार पुनः महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खेहर का कहना था कि, *''सरदार सरोवर बांध परियोजना पर कानूनी मसले से कोई हल नहीं निकलेगा। इससे ना तो उन लोगों का फायदा होगा, जिनकी जमीन चली गई है और न ही सरकार को। यहां तक कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। बेहतर हो राज्य सरकार और नर्मदा बचाओ आंदोलन योजना व व्यावहारिक समाधान लेकर न्यायालय में आएं।''* इस सुझाव ने नई संभावनाओं के द्वारा खोले हैं। गौरतलब है मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पिछले एक दशक से मिलने का प्रयास नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रहा है। वे बड़वानी आए वहां भी नहीं मिले। जब न ब आ कार्यकर्त्ता भोपाल गए तो समय दिए जाने के बावजूद भी नहीं मिले और कार्यकत्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। भले ही कोई नतीजा न निकला हो पर मुख्यमंत्री रहते और बाद में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के नाते उमा भारती नबआ से मिलती रही हैं। ऐसा ही दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में भी था। यही स्थिति केंद्र में भी बनी हुई है वी.पी सिंह, देवगौड़ा, चन्द्रशेखर, नरसिम्हा राव व मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर नबआ से मिलते रहे। वहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नबआ कार्यकत्ताओं से नहीं मिल रहे हैं। वैसे राजीव गांधी के समय पर्यावरण व पुनर्वास को लेकर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का विस्तार किया गया और सशर्त अनुमति दी गई थी। यह भी माना जाता रहा है कि यह अनुमति विश्व बैंक के दबाव में दी गई थी। जबकि बाद में विश्वबैंक ने इस परियोजना से अपना हाथ खीचते समय कहा था कि यह योजना (सरदार सरोवर) असमर्थनीय मार्ग से ही पूरी की जा सकती है।

''अफजल उजड़ जाय बसाएंगे, छाड़ बस्ती बास।
उपर पंथी या पंथ चले, गउ चर सी घास।।
अफजल साहब कहते हैं, कि लोग बस्तियां छोड़कर उजड़े क्षेत्र को बसा रहे हैं। यहां की बस्तियां उजड़ जाएंगी। तब यहां गायें चरेंगी।''

अफजल साहब सपने में भी नहीं सोच पाते कि भविष्य में कभी बड़वानी के आसपास ऐसा प्रलय आएगा कि गाय के लिए घास मिलना तो दूर पानी में रहने वाली मछलियों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। वस्तुतः आज की अनिवार्यता यह है कि सरकार अपनी जिद को छोड़े और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बातचीत की शुरुआत करे। इसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि दोषारोपण बंद कर नर्मदा घाटी में ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाए जो कि आपसी बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालते में प्रयासरत हों। साथ ही एन वी डी ए और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भी अपना दायित्व पूरी एकाग्रता से निभाना चाहिए। राज्य और केंद्र शासन को इस बात का सम्मान करना चाहिए कि तीन दशकों से भी ज्यादा चलने वाला यह आंदोलन पूरे विश्व के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध का पर्याय है। यदि किसी आपसी समझौते से हल निकलता है तो यह गांधी जी की 150 वीं जयंती के पहले बड़ी व उल्लेखनीय उपलब्धि होगी।

निमाड़ के एक अन्य संत सिंगाजी कहते हैं *तपस्या तो पत्थर की/धीरज तो वृक्ष का/सुफेरा तो सूरज का।* नर्मदा घाटी के निवासी इन तीनों उपमाओं पर खरे उतरे हैं। वे अपने स्थान पर अड़िग रहे हैं। उन्होंने अपनी जड़ों को उखड़ने नहीं दिया है और सूरज की तरह पूरी दुनिया में अहिंसात्मक आंदोलन की रौशनी को फैलाया है। अब पहल केंद्र व राज्य सरकारों को करनी है। साथ ही बिना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए नबआ को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इससे शासन व प्रशासन दोनों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वर्ना न्यायालय आज नहीं तो कल कुछ न कुछ निर्णय तो देगा ही। डूब क्षेत्र के आदिवासी नायक बाबा महरिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लिखा था, *''सरकारी और तमाम शहरी लोग यह मानते हैं कि हम जंगल में रहने वाले गरीब–गुरबा पिछड़े और बंदरों की तरह बसर करने वाले लोग हैं। पर हम आठ साल से लड़ रहे हैं, लाठी–गोली झेल रहे हैं कई बार जेल जा चुके हैं आंजनवाड़ा गांव में पुलिस ने पिछले साल गोलीबारी भी कर दी थी, हमारे घर–बार तोड़ दिए थे। लेकिन हम लोग–''मर जाएंगे–पर हटेंगे नहीं''का नारा लगाते हुए आज भी उसी जगह पर बैठै हुए हैं।''* आप सबकी सूचनार्थ प्रेषित है, बाबा महरिया अभी भी वहीं पर बैठै हैं।

चिन्मय मिश्र